

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर

(Phone: 0141-2227481, 2227555, FAX: 2227602, Help line No.2385877)

क्रमांक :- एफ-7() संस्था/रालसा/2017/217

दिनांक : 02.05.2017

कार्यालय आदेश

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं अधीनस्थ कार्यालयों में पदस्थापित न्यायिक अधिकारीगण को राजकीय कार्य से जिले से बाहर/विशेष परिस्थिति में मुख्यालय से बाहर निजी वाहन से यात्रा करने की निर्देशानुसार अनुमति प्रदान की जाती है।

न्यायिक अधिकारीगण यात्रा भत्ता पुनर्भरण के लिये राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ-7(3) एफडी/रूल्स/98-1 दिनांक 13.03.2008 के परिशिष्ट-II के एनेक्चर-II की पालना करेंगे।

(एस. के. जैन)

सदस्य सचिव,

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।

क्रमांक : 4231-4310

दिनांक : 2-5-2017

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय कार्यकारी अध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।
2. निजी सचिव, राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जयपुर।
3. निजी सचिव, राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जोधपुर।
4. अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, समस्त राजस्थान।
5. पूर्णकालिक सचिव, राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जयपुर/जोधपुर।
6. उपसचिव-I/उपसचिव-II/उपसचिव (एक्शन प्लान एण्ड एडीआर), राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।
7. उपसचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जोधपुर।
8. पूर्णकालिक सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, समस्त राजस्थान।
9. लेखा शाखा कार्यालय हाजा।
10. संबंधित/आदेश/रक्षित पत्रावली।

(निहाल चन्द)

उप सचिव,

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।

